समाहरणालय समस्तीपुर
(राजस्व प्रशाखा)
अल्पकालीन निविदा

समस्तीपुर जिला के सभी अंचल अर्न्तगत सभी हल्का कार्यालय मे संधारित पंजी–2 एवं समाहरणालय अभिलेखागार में संधारित सर्वे खतियान को स्कैनिंग कराकर ऑनलाईन प्रकाशन तथा 4 प्रति हार्ड कॉपी निकालकर बाइंडिग कराने हेतु एजेंसी चयन के लिए द्विलिफाफा प्रणाली के तहत निम्नाकिंत शर्तो के अधीन तकनिकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग मुहरबंद लिफाफे में आमंत्रित की जाती है।

कार्य का विवरण :–

1 चयनित एजेंसी जमावंदी पंजी–2 के स्कैनिंग एवं बाईडिग हेतु जिले के सभी 4 अनुमंडल मुख्यालय में तथा सर्वे खतियान के स्कैनिंग तथा बाईडिग हेतु समाहरणालय के अभिलेखागार में कम्प्यूटर/स्कैनर एवं अन्य उपकरण एक साथ स्थापित कर कार्य करेगी।

2 चयनित एजेंसी जमावंदी पंजी–2 तथा सर्वे खतियान का स्कैनिंग कर ऑनलाईन प्रकाशन करेगी तथा राजस्व मौजावार 4–4 प्रति में हार्ड कॉपी निकालकर बाईडिग कराकर एक प्रति अंचल कार्यालय, एक प्रति अनुमंडल कार्यालय, एक प्रति समाहरणालय अभिलेखागार तथा एक प्रति जिला राजस्व प्रशाखा को उपलब्ध कराएगी।

3 चयनित एजेंसी स्कैनिंग का कार्य कैमरा सहित Overhead Click Scaner / Book Scaner with speed of 25ppm, Minimum 5 Meg. Pix. Camera Quality, Scaning Rang Upto A3 Supported Formate Pdf, Supported DPI Minimum 300 के माध्यम से किया जाना है। प्रिंटिग पेपर A4 , Legal, A3 Size (80 GSM या उससे अधिक) Lazer Prinitting के माध्यम से किया जाएगा। Lazer Prinitting हेतु Origional Tonar का उपयोग किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति मे Refill Toner का उपयोग नंही होगा।

इच्छुक निविदादाता दिनांक 15.09.2016 को अपराहन 3 बजे तक तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग मुहरबंद लिफाफे में जिला राजस्व प्रशाखा में प्रस्तुत कर सकते है।

प्राप्त सभी निविदा दिनांक 16.09.2016 को अपराहन 4 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय वेश्म में अधोहस्ताक्षरी के अध्यक्षता में गठित क्रय समिति के समक्ष खोली जाएगी जिसमें निविदादाता या उनके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है।

निविदा की शर्ते :–

(क) तकनीकी शर्ते :–

1 निविदादाता प्रतिष्ठान का वाणिज्यकर, आयकर, सेवाकर निबंधित होना अनिर्वाय है तथा उससे संबंधित प्रमाण–पत्र एवं विगत– 2 वित्तिय वर्ष के रिर्टन की प्रति संलग्न करना होगा।

2 निविदा के साथ प्रतिभूति राशि के रूप में 25000.00 (पच्चीस हजार) का बैंक ड्राफ्ट जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत हो एवं जिला पदाधिकारी समस्तीपुर को भुगतेय हो संलग्न करना होगा।

3 निविदादाता प्रतिष्ठान को दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत कम से कम 5 वर्ष से निबंधित होना अनिवार्य है।

4 निविदादाता प्रतिष्ठान को बिहार राज्य के किसी अन्य जिले में स्कैनिंग कार्य या बी0पी0एल0, निर्वाचन, एस0ई0सी0सी0, मनरेगा या अन्य समकक्ष कार्य का अनुभव प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।

5 निविदादाता प्रतिष्ठान का 3 वर्षो में प्रति वर्ष टर्नओभर कम से कम 1 करोड़ या उससे अधिक का होना चाहिए।

6 निविदादाता प्रतिष्ठान को किसी सरकारी या गैर सरकारी संस्था द्वारा काली सुची में दर्ज नंही किये जाने संबधी शपथ पत्र संलग्न करना होगा ।

7 निविदादाता को जिलाधिकारी या पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

8 निविदादाता प्रतिष्ठान को आवंटित कार्य हेतु सभी कम्प्यूटर उपकरण Licensed Operating System एवं Antiviruse Softweare स्थापित करना होगा तथा ईस आशय का शपथ पत्र संलग्न करना होगा।

9 निविदादाता प्रतिष्ठान को जिला पदाधिकारी द्वारा आवंटित कार्य निर्धारित कालावधि में पूर्ण करने का शपथ पत्र देना होगा।

10 निर्धारित कालावधि मे कार्य पूर्ण नंही होने की स्थिति में 1000.00 (एक हजार) रू0 प्रतिदिन की दर से जुर्माना चयनित एजेंसी से वसुलनीय होगा साथ ही उनके द्वारा जमा अग्रधन जप्त किया जा सकेगा।

11 निर्वाध विधुत आपुर्ति हेतु चयनित एजेंसी को अपने खर्च पर ईंधनयुक्त जेनरेटर की व्यवस्था करनी होगी।

12 आवश्यकता अनुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा कार्यस्थल का परिवर्तन किया जा सकेगा। इस हेतु चयनित एजेंसी को कोई अतिरिक्त भुगतान मान्य नंही होगा।

13 चयनित एजेंसी को आवंटित कार्य पूर्ण करने हेतू स्थापित किये जाने वाले उपकरण यथा–कम्प्यूटर, स्कैनर, प्रिंटर, यू0पी0एस0, जेनरेटर तथा कम्प्यूटर ऑपरेटर आदि का पूर्ण विवरण देना होगा। कार्य हेतु मानक के अनुरूप उपकरण नंही पाये जाने पर एजेंसी का कार्य आवंटन तत्काल रद्द किया जा सकेगा।

(ख) वित्तिय निविदा :–

1 स्कैनिंग का दर सरकार के राजस्व एवं भुमि सुधार विभाग के पत्रांक 1915/रा0 दिनांक 18.12. 2014 के आलोक में निविदादाता द्वारा दिया जाएगा।

2 जमावंदी पंजी– 2 तथा खतियान के हार्डकॉपी का प्रिंटिंग A4, Legal एवं A3 पेपर पर आवश्यकतानुसार होना है इसलिए इस तीनो साईज के पेपर पर प्रिटिंग का दर अलग–अलग देना होगा।

3 जमावंदी पंजी 2 तथा खतियान के हार्डकॉपी का मौजावार भौलूम बनाकर प्लास्टिक कोटेड मजबुत बाईडिग का दर देना होगा ।

(ग) समान्य शर्ते :–

1 निर्धारीत समय सीमा की बाध्यता के मधेनजर न्युनतम दर एवं तकनीकी दक्षता के आधार पर एक से अधिक निविदादाताओ के बीच कार्य आवंटित किया जा सकता है एवं इस हेतु अधोहस्ताक्षरी द्वारा पारित आदेश अंतिम आदेश होगा।

2 चयनित एजेंसी को कार्य सम्पन्न करने हेतु उपलब्ध कराये गए अभिलेख यथा– खतियाान, पंजी–2 के समुचित रख–रखाव की जिम्मेवारी होगी।

3 कार्य समाप्त होने एवं विभाग से राशि के आवंटन प्राप्त होने के पुर्व चयनित एजेंसी को किसी प्रकार के अग्रिम राशि का भुगतान नंही किया जाएगा। इस हेतु कोई सुद की राशि भी भुगतेय नंही होगा।

4 सभी अनुमंडल मुख्यालय में संबधित अनुमंडल पदाधिकारी तथा समाहरणालय में अपर समाहर्ता समस्तीपुर की देख–रेख एवं पर्यवेक्षण में कार्य सम्पन्न होगा तथा उनकी स्पष्ट अनुसंसा पर ही चयनित एजेंसी को भुगतान किया जाएगा।

5 वित्तिय एवं तकनीकी निविदा अपूर्ण या बिना हस्ताक्षर/मुहर के पाये जाने पर उसे स्वीकार नंही किया जाएगा।

6 एजेंसी के चयन में निविदा के न्यूनतम दर के साथ साथ किसी अन्य जिले में स्कैनिंग कार्य के अनुभवी निविदादाता प्रतिष्ठान को प्राथमिकता दी जाएगी एवं न्यूनतम दर , तकनीकी दक्षता एवं निगोसियेशन के आधार पर एजेंसी का चयन किया जाएगा ।

7 कार्य आवंटन से पूर्व विभागीय अनुदेशो एवं निविदा की शर्तो के अनुरूप चयनित एजेंसी को अपने खर्च पर एकरारनामा करना होगा।

8 किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में अधोहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम होगा।

9 बिना कारण बताये निविदा की शर्तो में संशोधन करने, निविदा स्थगित या रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

10 कोई भी निविदा निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात स्वीकार नंही किया जाएगा।

11 अधिक जानकारी के लिए samastipur.bih.nic.in पर देखा जा सकता है या समाहरणालय समस्तीपुर के राजस्व प्राशाखा से किसी भी कार्य दिवस में संर्पक किया जा सकता है।

समाहर्ता
समस्तीपुर।
28/8/16